इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 1 | अगस्त, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

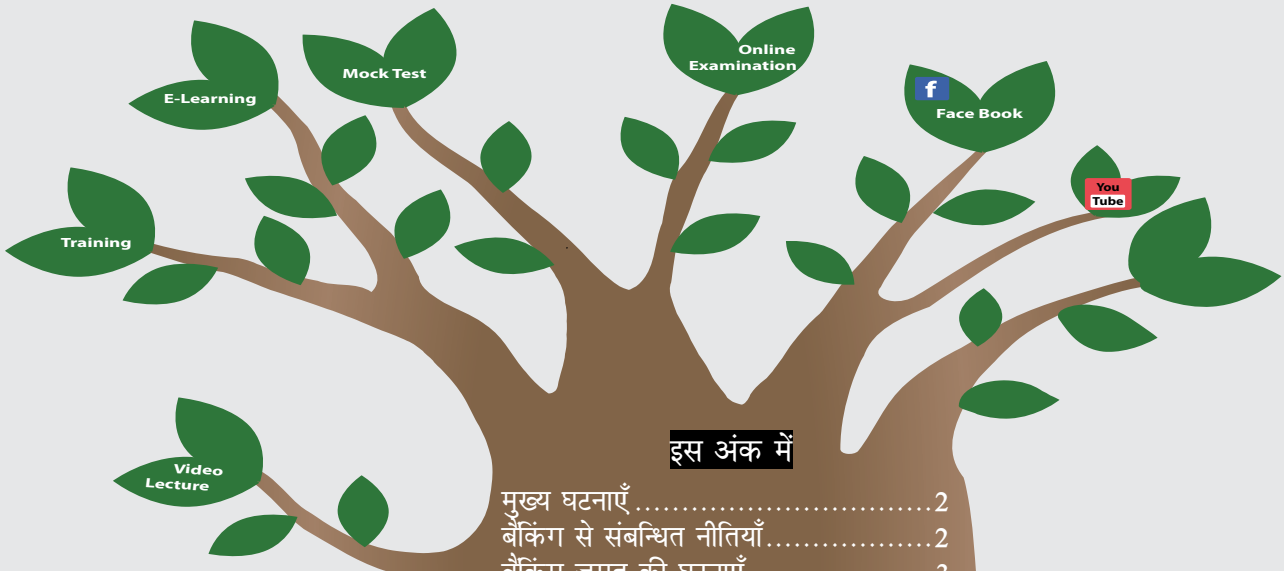

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
पूंजी बाजार.....3
विनियामक के कथन.....4
बीमा.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्ति.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

ऋणों पर समय-पूर्व भुगतान शुल्क के निदेशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चल दर वाले सभी ऋणों तथा अग्रिमों पर समय-पूर्व भुगतान शुल्क के निदेशों को संशोधित किया है ताकि व्यक्तियों एवं सूक्ष्म व लघु उद्यमों को आसानी से व निर्बाध वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके। ये निदेश 1 जनवरी 2026 को या इसके बाद मंजूर अथवा नवीकृत किए गए ऋणों पर लागू होंगे। संशोधित नियमों के अनुसार, व्यवसाय से इतर उद्देश्यों हेतु व्यक्तियों को प्रदत्त सभी ऋणों चाहे यह सह-दायी के साथ या इसके बगैर हों, पर एक विनियमित संस्था कोई समय-पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगाएगी।

- वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़ कर), टियर 4 के प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, अपर लेयर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं कारोबार उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिए गए चल दर ऋणों पर कोई समय-पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगा सकेंगी।
- लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टियर 3 के प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, तथा मध्यम लेयर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 50 लाख रुपए तक की मंजूर राशि/सीमा वाले ऋणों पर कोई समय-पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगाएँगी।

समय-पूर्व भुगतान शुल्क लागू होगा या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख स्वीकृति पत्र तथा ऋण करार में किया गया होगा।

वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2025 में बढ़ोत्तरी

वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान मार्च 2024 के 64.2 के सापेक्ष मार्च 2025 में 67.0 है। यह वृद्धि सभी उप–सूचकांकों नामत: पहुँच, उपयोग तथा गुणवत्ता में बढ़त के चलते है। वित्त वर्ष 2025 में वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार, उपयोग तथा गुणवत्ता के आयामों से आया है जो वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता की निरंतर पहलों के गहरे प्रभावों को दर्शाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक एक व्यापक सूचकांक है जो बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक तथा पेंशन जैसे क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारियों को सरकार तथा संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से शामिल करता है।

भुगतानों के बढ़ते डिजिटीकरण के कारण मार्च 2025 में डिजिटल भुगतान सूचकांक में बढ़त

देश भर में भुगतानों का डिजिटीकरण कहाँ तक पहुंचा है, इसके मापन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक 2021 से भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रकाशित करता आ रहा है। भुगतान अवसंरचना तथा भुगतान प्रदर्शन आपूर्ति-पक्ष कारकों जैसे विभिन्न प्राचलों में वृद्धि के चलते मार्च 2025 हेतु सूचकांक 493.22 रहा जबकि सितंबर 2024 के लिए यह 465.33 था।

431 शहरी सहकारी बैंक पर्यवेक्षी कार्यवाही ढांचे तथा 20 समस्त समावेशी निदेशों के अधीन लाए गए हैं

राज्य सभा में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सूचित किया कि इस समय कुल 20 शहरी सहकारी बैंक समस्त समावेशी निदेशों के अधीन तथा 431 शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी कार्यवाही ढांचे के अधीन रखे गए हैं। इसके साथ एक प्रादेशिक सहकारी बैंक तथा 15 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत लाए गए हैं। इसके बाद, 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशियों वाले और उन शहरी सहकारी बैंकों जो वेतनभोगियों के बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, के लिए प्रबंधन बोर्ड का गठन करना अब अनिवार्य है। उम्मीद है कि इससे पेशेवर निगरानी सुनिश्चित होगी तथा अभिशासन का स्तर ऊंचा होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बैंक सोने और चांदी की 'स्वैच्छिक गिरवी' संपार्श्विक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं

कर्ज देने पर मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए बगैर अधिक स्वतन्त्रता देने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक कृषि तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ऋणों, यहाँ तक कि जो ऋण संपार्श्विक-मुक्त सीमा के भीतर हों, के लिए सोने और चांदी

की 'स्वैच्छिक गिरवी' संपार्श्विक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तथापि, यह गिरवी पूर्णत: स्वैच्छिक तथा कर्जदाताओं की ओर से किसी प्रकार के दबाव के बगैर ही होनी चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि निदेश, 2025 जारी

वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (आवास वित्त कंपनियों को शामिल कर) के लिए निदेश जारी किए हैं जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश तथा प्रावधानीकरण पर लागू सीमाओं के भीतर किए जाने होंगे। इन निदेशों के अनुसार, कोई विनियमित संस्था एक वैकल्पिक निवेश निधि योजना के कोष में अकेले 10% से अधिक का निवेश नहीं करेगी। एक वैकल्पिक निवेश निधि योजना में सभी विनियमित संस्थाओं के द्वारा सामूहिक योगदान उस योजना के कोष के 20% से अधिक नहीं होगा। अगर कोई विनियमित संस्था इस विनियमित संस्था की देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली वैकल्पिक निवेश निधि योजना के कोष के 5% से अधिक का योगदान करती है, तो इस विनियमित संस्था को वैकल्पिक निवेश निधि योजना के जरिए देनदार कंपनी में इसके आनुपातिक निवेश की सीमा तक 100% का प्रावधान करना होगा। यह अधिकतम प्रत्यक्ष ऋण और/या देनदार कंपनी के प्रति विनियमित संस्था के निवेश एक्सपोजर के अधीन होगा।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यवसाय अधिकारों के मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राहत का प्रस्ताव

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए वित्तीय रूप से स्वस्थ और सुप्रबंधित (Financially Sound and Well Managed) मानकों को कतिपय व्यवसाय अधिकारों/अनुमतियों/अनुमोदनों हेतु सभी बैंकों के लिए एकीकृत पात्रता मानदंड जिसे व्यवसाय अधिकार हेतु पात्रता मानदंड (ECBA) कहा जाएगा, से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है। एक बैंक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ईसीबीए का अनुपालन प्रति वर्ष निर्धारित करेगा। प्रस्तावित है कि शहरी सहकारी बैंक (जो टियर 3 व टियर 4 श्रेणी में आते हैं), जो ईसीबीए अनुपालित हैं तथा जिनकी आकलित निवल मालियत न्यूनतम 50 करोड़ रुपए है, अपने परिचालन का विस्तार पंजीकरण के राज्य से बाहर कर सकते हैं जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना होगा। एक शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार इसके पंजीकरण के सम्पूर्ण जिले में कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति नए स्थान पर कारोबार करने अथवा कारोबार के मौजूदा स्थान को बदलने के लिए आवश्यक होगी।

पूंजी बाजार

विशेषीकृत निवेश निधि (Specialized Investment Fund) में न्यूनतम अनुपालन हेतु सेबी 'एक्टिव ब्रीच' प्रक्रिया का उपयोग करेगा

विशेषीकृत निवेश निधि के तहत आवश्यक न्यूनतम निवेश सीमा का पालन सुनिश्चित करने हेतु सेबी ने 'एक्टिव ब्रीच' वाली एक प्रक्रिया जारी की है। 'एक्टिव ब्रीच' दर्शाएगा कि विशेषीकृत निवेश निधि की सभी निवेश रणनीतियों में एक निवेशक के कुल निवेश का पूरा मूल्य 10 लाख रुपए की न्यूनतम निवेश सीमा से नीचे आ गया है, जिसका कारण निवेशक द्वारा किया गया संव्यवहार जैसे कि भुगतान, अंतरण बिक्री आदि हो सकता है। ऐसा 'एक्टिव ब्रीच' होने पर, संबंधित विशेषीकृत निवेश निधि की सभी निवेश रणनीतियों में निवेशक द्वारा धारित सभी यूनिटों को नामे हेतु अवरुद्ध कर दिया जाएगा। निवेशक को 30 कलेंडर दिनों का नोटिस दिया जाएगा कि वह निवेशों का पुनर्समायोजन कर ले और इसे न्यूनतम निवेश सीमा के समतुल्य ले आए।

सेबी ने डेरिवेटिव में अनिवासी भारतीयों द्वारा व्यापार में कस्टोडियल भागीदार कोड की आवश्यकता हटा दी है

अनिवासी भारतीयों को एक्सचेंज पर डेरिवेटिव संविदाओं के सौदे करने को सुगम बनाने तथा परिचालनात्मक दक्षता लाने हेतु, अनिवासी भारतीयों द्वारा डेरिवेटिव का सौदा करने के लिए समाशोधन सदस्य का नाम सूचित करने/कस्टोडियल भागीदार (Custodial Participant) कोड प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता को सेबी ने खत्म कर दिया है। उनकी पोजीशन सीमाओं पर निगरानी क्लाइंट स्तर पर रखी जाएगी जैसा कि घरेलू निवेशकों के लिए किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज तथा समाशोधन निगम वर्तमान परिचालन प्रक्रिया को संशोधित मानकों के अनुसार परिवर्तित करेंगे।

विनियामक के कथन

संधारणीय विकास हेतु हरित अवसंरचना में निवेश आवश्यक: श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में आयोजित सम्मेलन में अपने वक्तव्य में श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि हरित एवं संधारणीय अवसंरचना में आवश्यक निवेश के लिए वित्तीय पारिस्थितिकी का सर्वांगीण पुनर्गठन अनिवार्य है। हरित एवं संधारणीय अवसंरचना को बैंक वित्तपोषण की खाई, रियायती दर के लोक वित्त तथा निजी पूंजी से बने मिश्रित वित्त से पाटी जा सकती है। श्री राव ने आगे कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय विकास बैंकों तथा वर्टिकल क्लाइमेट एंड एनवायरोनमेंटल फंड को अपने दृष्टिकोणों तथा परिचालनों में शीघ्र सामंजस्य लाते हुए संयुक्त रूप से निधि जुटानी चाहिए ताकि वे प्रत्यक्ष वित्तपोषक से हट कर, उत्प्रेरक भागीदार बनें तथा संधारणीय एवं हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण में बड़े पैमाने की किफायत लाएँ। अपने वक्तव्य में उन्होंने परियोजना के सत्यापन, बेहतर जांच-पड़ताल तथा हरित व संधारणीय वित्त तक पहुँच को लोकतान्त्रिक बनाने में फिनटेक, ब्लॉकचेन और कृत्रिम मेधा की शक्तियों की भी चर्चा की।

आघात सह्य तथा प्रासंगिक बने रहने हेतु शहरी सहकारी बैंक अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दें: श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों हेतु आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को जमाकर्ताओं का भरोसा हासिल करने के साथ अभिशासन, जोखिम प्रबंधन तथा सुरक्षित प्रौद्योगिकी अपनाने को प्राथमिकता अवश्य देनी चाहिए। देश के वित्तीय परिदृश्य पर शहरी सहकारी बैंकों का योगदान सहकारी मॉडल की मूल भावना-रिश्तों की बुनियाद पर बैंकिंग, स्थानीय जानकारी व जमीनी स्तर पर जुड़ाव का परिचायक है। आगे श्री स्वामीनाथन ने शहरी सहकारी बैंकों के स्थायित्व के लिए अभिशासन की निम्न पाँच मुख्य अनिवार्यताओं पर ज़ोर दिया: अभिशासन तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करना; मजबूत अश्योरेंस फंक्शन की स्थापना; लेखापरीक्षकों तथा निरीक्षकों के साथ रचनात्मक संबंध रखना; प्रौद्योगिकी को उत्तरदायित्व के साथ अंगीकार करना; छत्र संगठन के जरिए सामूहिक मजबूती को समर्थन देना।

विकास के लिए समयानुसार रणनीति, नीतिपूर्ण प्रथाएँ तथा तकनीकी जागरूकता महत्वपूर्ण हैं: श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

करूर वैश्य बैंक के 109वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग में, संसाधन, मात्र वित्तीय पूंजी से बढ़ कर हैं। इन संसाधनों में लोग, प्रणालियाँ, सांस्थनिक स्मृति तथा प्रसिद्धि शामिल हैं। एक बैंक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि यह अपने वित्तीय संसाधनों को कैसे नियोजित करता है। दायित्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के लिए, एक बैंक के पास ऐसे औजारों का होना जरूरी है जो आधुनिक, तत्पर, निरंतर अद्यतनशील तथा सुनियंत्रित हों। बैंकिंग में समय पर कदम उठाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही समय पर कदम उठाना या इसमें असफल रहना, बड़ी सफलता तथा अवसर गँवाने के बीच विभाजक रेखा साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय चाहे यह ऋण प्रदान करने, नए बाज़ारों में प्रवेश करने या पोर्टफोलियो को पुनर्सन्तुलित करने से संबंधित हो, लेने में सही समय और सही विवेक की बड़ी भूमिका होती है। कारगर कार्यवाही के लिए स्पष्टता, समन्वय तथा जवाबदेही आवश्यक हैं। विकास की राह पर चलना जरूरी है लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि बोर्ड कक्ष से शाखा तक- प्रणालियाँ, लोग तथा प्रक्रियाएँ-नीतिपूर्ण प्रथाओं से संबद्ध हों तथा इन प्रथाओं को आत्मसात करते हों।

ऋण रिपोर्टिंग, डेटा तथा उभरती प्रौद्योगिकी ने ऋण परिदृश्य का विस्तार किया है: श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

ट्रांसयूनियन सिबिल के ऋण सम्मेलन में बोलते हुए श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि जानकारी के अभाव तथा जानकारी हासिल करने की ऊंची लागत के कारण हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में, ऋण रिपोर्टिंग के आने से स्थिति काफी बदल गई है तथा ऋण सुविधाओं तक पहुँच में डेटा एवं उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऋण सुविधा, विशेषकर वंचितों को ऋण सुविधा के प्रावधान में एक मुख्य चुनौती ऋण इतिहास का न होना है। कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग अलगोरिद्म ऋण पात्रता निर्धारित करने हेतु विभिन्न स्रोतों से वैकल्पिक डेटा का मूल्यांकन कर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। श्री राव का कहना था कि हम परिवर्तनशील वित्तीय युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां प्रौद्योगिकी, नीति तथा नवोन्मेष का संगम, ऋणों तक पहुँच को लोकतान्त्रिक बना रहा है। तथापि, संधारणीय ऋण परिदृश्य के केंद्र में वित्तीय जागरूकता एवं साक्षरता से सशक्त ग्राहक खड़ा है।

बीमा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र तथा मोटर अन्य पक्ष दायित्वों हेतु लक्ष्य में वृद्धि

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र तथा मोटर अन्य पक्ष दायित्वों हेतु बीमा कवरेज के अपने लक्ष्य में वृद्धि कर दी है। तदनुसार, प्रत्येक जीवन, सामान्य एवं एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी को, उन्हें वित्तवर्ष 26 में आवंटित 25,000 ग्राम पंचायतों में व्यैक्तिक और/या समूह स्वास्थ्य बीमा के तहत 15% आबादी को कवर करना होगा। वित्तवर्ष 27 तक यह संख्या बढ़ कर 50,000 ग्रामपंचायतों की हो जाएगी। जहां तक मोटर अन्य पक्ष दायित्वों का प्रश्न है, वित्तवर्ष 26 में, 2% तक की अन्य पक्ष बाज़ार भागीदारी वाली कंपनियों को, सामान वाहक, यात्रीवाहक वाहनों, ट्रैक्टरों की संख्या में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के ऊपर न्यूनतम 12.5% की वृद्धि हासिल करनी होगी।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी जून 2025 हेतु जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2025 के 2.8% से और घट कर जून 2025 में 2.1% हो गया।
- जून 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर 1.5% है।
- कुल निर्यातों (वस्तुओं तथा सेवाओं) में वर्षानुवर्ष 5.9% की वृद्धि हुई जबकि मुख्य (core) वस्तुओं के निर्यात में वर्षानुवर्ष 7.2% की वृद्धि हुई।
- मजबूत आय के बूते पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात तथा निवल अनर्जक आस्ति अनुपात कई दशकों के न्यूनतम क्रमश: 2.3% तथा 0.5% पर है ।
- यथा 27 जून 2025, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में वर्षानुवर्ष वृद्धि गिर कर 10.4% हो गई है जो एक वर्ष पूर्व दर्ज 13.9% की वृद्धि से कम है।
- वित्तवर्ष 26 की प्रथम तिमाही में यूपीआई में वर्षानुवर्ष 33.3% की अच्छी वृद्धि देखी गई है।
- वर्षानुवर्ष 14% की वृद्धि तथा वैश्विक धनप्रेषणों हेतु दुनिया के अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होने के साथ आवक धनप्रेषण वित्तवर्ष 25 में 135.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया।
- आवक सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वित्तवर्ष 26 के अप्रैल-मई में वर्षानुवर्ष 5% की वृद्धि के साथ 15.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

नयी नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री अजय सेठ	अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 25 जुलाई 2025	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6040880	698192
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5095487	588926
1.2 स्वर्ण	741528	85704
1.3 एसडीआर	162741	18809
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	41125	4753

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

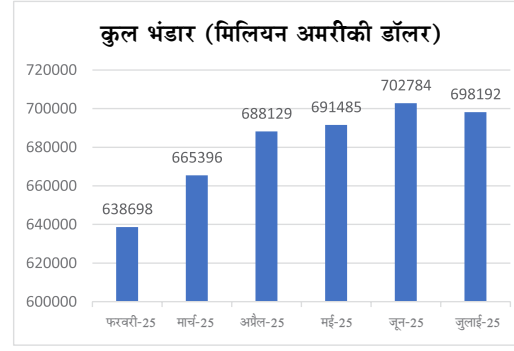

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

31 जुलाई 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, अगस्त 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.36
SONIA (जीबीपी)	4.2171
STR (यूरो)	1.923
TONA (जापानी येन)	0.478
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.7600
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.85
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.044648

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	3.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.894
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.7849
HONIA (हांगकांग डॉलर)	0.47352
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5400

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

डाउन स्ट्रीम निवेश

डाउन स्ट्रीम निवेश एक भारतीय संस्था जिसे विदेशी निवेश प्राप्त हुआ हो, के द्वारा किया गया निवेश अथवा इक्विटी लिखत में निवेश माध्यम (vehicle) जैसी स्थिति हो, होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मात्रा भारित औसत मूल्य (Volume Weighted Average Price or VWAP)

मात्रा भारित औसत मूल्य, मूल्य की प्रवृत्तियों तथा चलनिधि का विश्लेषण करने हेतु, संबंधित दिवस के लिए एक प्रतिभूति के औसत

मूल्य, जिसका भार ट्रेडिंग की मात्रा से निकाला जाता है, की गणना करने वाला तकनीकी संकेतक है।

VWAP = संचयी (मूल्य * मात्रा)/संचयी मात्रा

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त 2025 माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
बैंकिंग लोकपाल तथा कोपरा पर कार्यशाला	11 अगस्त, 2025	वर्चुअल
सार्वजनिक व निजी क्षेत्र बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के विधि और वसूली अधिकारियों हेतु कार्यक्रम	11-13 अगस्त, 2025	
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	12-14 अगस्त, 2025	
शाखा प्रमुखों व ऋण अधिकारियों हेतु खुदरा तथा एमएसएमई कर्ज पर कार्यक्रम	18-20 अगस्त, 2025	लीडरशिप सेंटर, मुंबई
तुलनपत्र अध्ययन तथा अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	19-20 अगस्त, 2025	वर्चुअल
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	19-20 अगस्त, 2025	
प्रमाणित लेखा व लेखापरीक्षा पेशेवरों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	20-22 अगस्त, 2025	
बिजनेस अनलिटिक्स, मशीन लर्निंग तथा कृत्रिम मेधा और बैंकों में इनके प्रभावों पर कार्यक्रम	20-22 अगस्त, 2025	
अनुशासन प्रबंधन, अन्वेषण व अनुशासनिक कार्य/कार्यवाही पर कार्यक्रम	28-30 अगस्त, 2025	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा एफपीएसबी के साथ संयुक्त वेबिनार का आयोजन

संस्थान ने 8 जुलाई 2025 को फायनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (FPSB) के साथ ''अनलाकिंग द फायनेंशियल फ्यूचर एंड ग्रेट करियर अपार्चुनीटिज विद सीएफपी सर्टिफिकेशन'' विषय पर संयुक्त वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में विशेषज्ञों ने सीएफपी कार्यक्रम के लाभों व अवसरों की चर्चा की। इस कार्यक्रम में वक्ता आईआईबीएफ के सीईओ श्री बिश्व केतन दास, एफपीएसबी इंडिया के सीईओ श्री कृशन मिश्रा तथा एफपीएसबी इंडिया की व्यवसाय प्रमुख श्रीमती टीना रावल थे।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र के विभिन्न वर्टिकल में सभी प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत डाइजेस्ट है। अमेजान पर यह पुस्तक पेपरबैक तथा किंडल संस्करण में उपलब्ध है। यह प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा विक्रेताओं से भी खरीदी जा सकती है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय ''स्ट्रैटेजिक एचआरएम इनिशिएटिव्स फॉर बैंक्स'' रखा गया है। उप विषय हैं: प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार आयोजना, कर्मचारी जुड़ाव हेतु रणनीतियाँ, डाइवर्सिटी व इनक्लुजन का प्रबंधन, एचआर लेखापरीक्षा।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है ताकि यह पता चल सके कि क्या अभ्यर्थी नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि एवं परीक्षा की वास्तविक तिथि के बीच घटनाओं/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

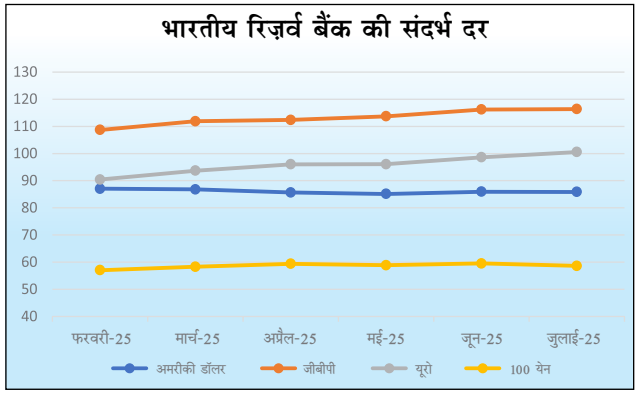

स्रोत: एफबीआईएल

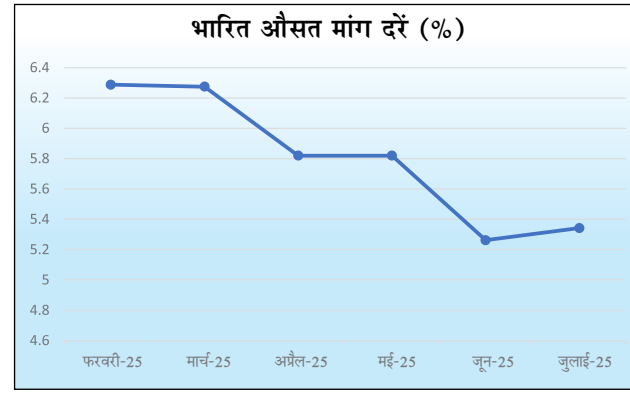

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

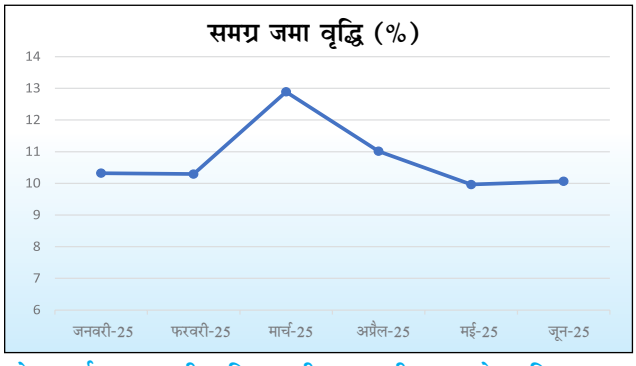

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई 2025

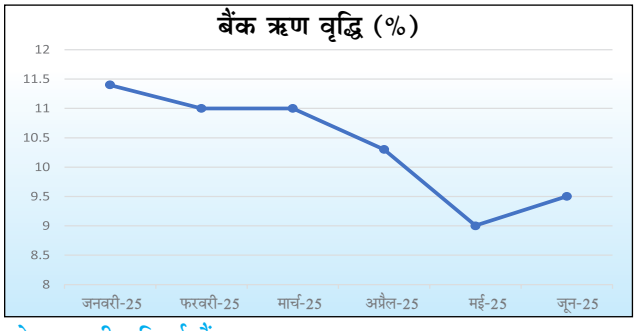

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

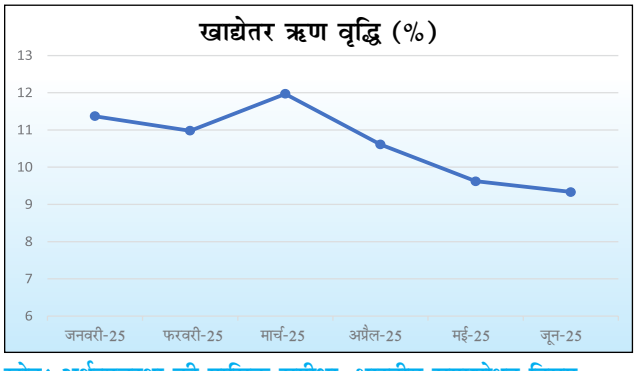

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई 2025

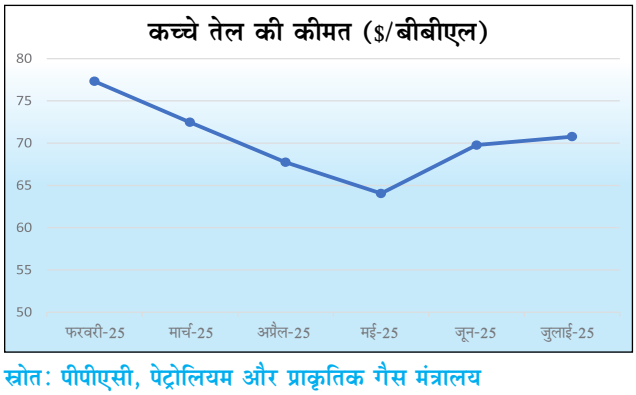

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

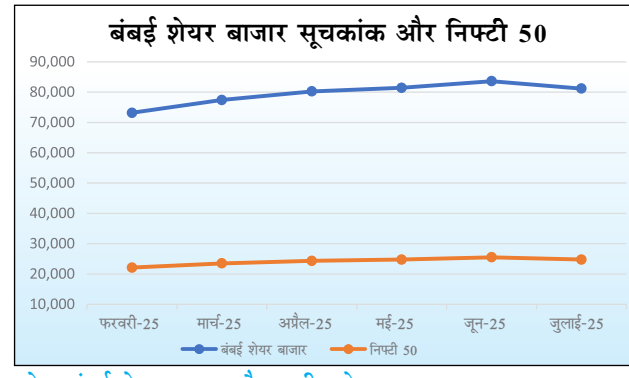

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

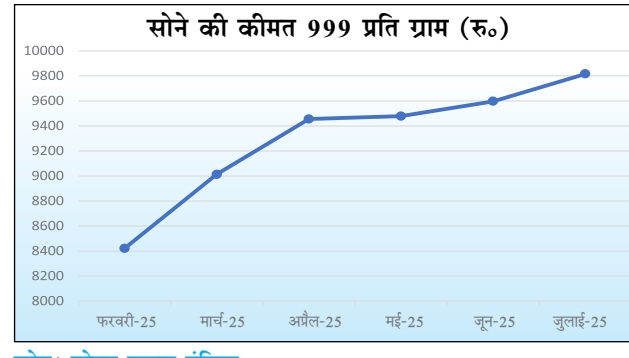

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in